फाइल नं0-71-1001(099)/142/2021

122/2021/I/96716/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ :दिनॉक 10 सितम्बर, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में उपकरणों के क्रय हेतु मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र मद में स्वीकृत धनराशि से उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021-22/538, दिनॉक 19-08-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-26-"मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 360.80 लाख में से निम्नलिखित उपकरणों के क्रय हेतु रू0 3,44,50,000/- (रू0 तीन करोड़ चौवालिस लाख पचास हजार मात्र) की निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है:-

(धनराशि लाख में)

क्र0	विभाग का नाम	उपकरण का नाम	उपकरण का अनुमानित मूल्य 05 वर्ष की वारण्टी एवं 05 वर्ष की सी0एम0सी0 के साथ		
			मात्रा	दर प्रति नग	उपकरणों की कुल अनुमानित
1	नेत्र रोग विभाग	OPTHALMIC MICROSCOPE	**1**	**20.00**	**20.00**
2	नेत्र रोग विभाग	NON COUTACT TONOMETER	**1**	**6.00**	**6.00**
3	एनेस्थीसिया विभाग	RADIO FREQUENCY MACHINE FOR PAIN MANAUMIER	**1**	**49.75**	**49.75**
4	आर्थो विभाग	KNEE ARTHOSCOPIC SET AND ACCESSORIES	**1**	**49.75**	**49.75**
5	मेडिसिन विभाग	EEG MACHINE SUPPORT 32 CHANNELS	**1**	**7.00**	**7.00**
6	साइकेट्री विभाग	RAVEN PROGRESSIVE HATRICES ALL SETS (CPM SPM APM)	**1**	**0.70**	**0.70**
7	साइकेट्री विभाग	WECHSLER INTELLIGTNLT SCALE FOR CHILDREN	**1**	**0.80**	**0.80**
8	फोरेन्सिक विभाग	COLD ROOM	**1**	**18.00**	**18.00**
9	फोरेन्सिक विभाग	STUDENT MICROSCOPE	**25**	**0.06**	**1.50**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10	ब्लक बैंक	STERILE CONNECTIONG DEVICES	**1**	**7.00**	**7.00**
11	ब्लक बैंक	BIOSAFTEY CABINATE	**1**	**1.00**	**1.00**
12	ब्लक बैंक	CENTRIFUGE	**1**	**0.40**	**0.40**
13	दन्त रोग विभाग	DENTAL CHAIR 4 UNITCOMPLETE	**2**	**3.00**	**6.00**
14	दन्त रोग विभाग	DENTEL AUTOCLAVE (DIGITAL)	**1**	**1.00**	**1.00**
15	दन्त रोग विभाग	ORAL SURGICAL MICRO MOTOCOMPIETE SET	**1**	**2.00**	**2.00**
16	दन्त रोग विभाग	ENDO MOTOR	**1**	**0.80**	**0.80**
17	सर्जरी विभाग	ELECTRO CAUTRY	**1**	**4.50**	**4.50**
18	बायोकेमिस्ट्री विभाग	FULLY AUTOMATIC BIOCHEMSTRY ANALYSER	**1**	**14.00**	**14.00**
19	बायोकेमिस्ट्री विभाग	HORMONI ANALYSER	**1**	**14.00**	**14.00**
20	बायोकेमिस्ट्री विभाग	ELISA READER AND WASHER	**1**	**5.00**	**5.00**
21	बायोकेमिस्ट्री विभाग	CHROMATO GRAPHIC CHAMBER	**1**	**0.50**	**0.50**
22	बायोकेमिस्ट्री विभाग	REFREGIRATOR FOR STORING REAGENT	**1**	**0.90**	**0.90**
23	फोरेन्सिक विभाग	MICROSCOPE OIL IMMERSION	**14**	**0.15**	**2.10**
24	आफिस हेतु	COMPUTERS AND UPS AND PRINTER	**5**	**0.85**	**4.25**
25	रेस्पीरेटरी मेडिसिन	SINGLE CHIP VIDEO CAMERA WITH CAMERA HEAD COMPATIBLE WITH FIBEROPTIC BRONCHOSCOPE WITH LONG DURATION LED LIGHT SOURCE	**1**	**9.00**	**9.00**
26	मेडिसिन विभाग	TMT	**1**	**20.00**	**20.00**
27	मेडिसिन विभाग	HOLTER	**1**	**12.00**	**12.00**
28	नेफ्रोलॉजी	HEMODIALYSIS REPRECESSIY MACHINE	**1**	**5.00**	**5.00**
29	एनाटॉमी विभाग	SS REVALVING STOOL	**90**	**0.03**	**2.70**
30	फोरेन्सिक विभाग	MULTIMEDICA PROJECTOR WITH SCREEN	**2**	**1.25**	**2.50**
31	फार्माकोलॉजी विभाग	MULTI VENOUS TRAINNING MANIKIN FOR DRUG ADMINISTRATION	**5**	**0.37**	**1.85**
32	सर्जरी विभाग	STANDED NEFROSCOPE 14&16 Fr WITH ACCESSORIES	**1**	**10.00**	**10.00**
33	कालेज लाउण्ड्री	RENAL AMPALTZ DILETOR SET WITH SEATS	**4**	**1.50**	**6.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

34	कालेज लाउण्ड्री	ALKEN NEEDLE SHEATH	**5**	**0.30**	**1.50**
35	कालेज लाउण्ड्री	WASHING MACHINE SEMI AUTOMETIC 20 KG	**1**	**8.00**	**8.00**
36	कालेज लाउण्ड्री	WASHING MACHINE FULLY AUTOMETIC 40 KG FRANT	**2**	**15.00**	**30.00**
37	कालेज लाउण्ड्री	CLOTH DRAYER 30KG	**2**	**6.50**	**13.00**
38	प्राचार्य कार्यालय	MULTI COLOUR PHOTO COPY MACHINE WITH SCANNER	**1**	**3.00**	**3.00**
39	फार्माकोलॉजी विभाग	MANIKIN FOR INTRAVENOUS ARM TRANNING ADULT	**5**	**0.60**	**3.00**
				योग-	**344.50**

1- विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।

2- उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन, क्रय प्रक्रिया सुनिश्चित करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।

3- उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।

4- उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

9- कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक , चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

10- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

11- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97 (ल0उ0)/2016, दिनॉक 23.08.2017 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-1/2018/868/18-2-2017-2 (एस0पी0) /2017, दिनॉक 15.01.2018 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यालयाध्यक्ष (रू0 1.00 लाख तक) तथा विभागाध्यक्ष द्वारा (रू0 50.00 लाख) क्रयाधिकार संबंधी निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत ही क्रय प्रक्रिया सम्पादित की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही क्रयादेश निर्गत किये जायेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- पारदर्शी प्रक्रिया से गुणवत्तायुक्त सामग्री का क्रय तथा तदनंतर आडिट का उत्तरदायित्व संबंधित प्रधानाचार्य/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण का होगा।

14- सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा की होगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- श्री कुलदीप कुमार रस्तोगी, संयुक्त सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।